

ଇସ୍ଲାମ୍‌ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଦମ୍‌ର ପାପର ବୋଧରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ତାହା ହୋଇନାହିଁ।

ଇସ୍ଲାମ୍‌ରେ ହେଉଛି ଯେ ଅଲ୍ଲାହ୍‌ରେ ଆଦମ୍ -ଅଲ୍‌ଲାହ୍‌-କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସିଖାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପାପ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାହାକୁ କିପରି କ୍ଷମା କରିବାକୁ ହେବ।

"ଫିର ଆଦମ୍‌ରେ ନିଜର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି।
ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେ କିଛି କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି।" [213] [ସୂରା ଅଲ୍‌ବାକ୍କରା : 37]

ମସୀହ୍‌ର ମାତା ମରୀୟମ୍‌ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ, ଯିଏକାର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କୁରାନ୍‌ରେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସହିତ କରାଯାଇଛି।

କୁରାନ୍‌ରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ କିଛି କାହାଣୀରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରିକି ସବା କି ରାନୀ ବିଲକ୍ରିସ୍‌ ଏବଂ ପୈଗମ୍‌ବର ସୁଲୈମାନ୍ -ଅଲ୍‌ଲାହ୍‌- ସହିତ ତାହାଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଇମାନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଯେପରିକି କୁରାନ୍‌ରେ କୁହାଯାଇଛି : "ନି:ସନ୍ଦେହ୍‌ ମୁଁ ଏକ ମହିଳାକୁ ପାଇଲି, ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଥିଲା ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାହାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସିଂହାସନ ଦିଆଯାଇଛି।" [214] [ସୂରା ଅଲ୍‌ନୁଲ୍‌ : 23]

ଇସ୍ଲାମ୍‌ରେ ଇତିହାସରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୈଗମ୍‌ବର ମୁହମ୍ମଦ୍ -ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଅଲ୍‌ଲାହି ଓ ସଲ୍ଲମ୍‌- ତାହାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେପରିକି ଆପଣେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେପରିକି ଆପଣେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେପରିକି ଆପଣେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ପ୍ରାଚୀନ ଅରବ୍‌ ସଂସ୍କୃତିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତାହାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ବିବାହର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଯେପରିକି ଆପଣେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେପରିକି ଆପଣେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଅଲ୍ଲାହ୍‌ର ରସୂଲ୍ -ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଅଲ୍‌ଲାହି ଓ ସଲ୍ଲମ୍‌- କୁହାଯାଇଛି : "ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ମହିଳା ସେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷର ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ।" [215] [ତାହାଙ୍କୁ ଇମାମ୍‌ ତିର୍ମିଜି କୁହାଯାଇଛି।]

"ନି:ସନ୍ଦେହ୍‌ ମୁସଲମାନ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଇମାନ ଦେବାକୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଇମାନ ଦେବାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ,

आज्ञाकारी पुरुष और आज्ञाकारिणी स्त्रियाँ, सच्चे पुरुष और सच्ची स्त्रियाँ, धैर्यवान पुरुष और धैर्यवान स्त्रियाँ, विनम्रता दिखाने वाले पुरुष और विनम्रता दिखाने वाली स्त्रियाँ, सदका (दान) देने वाले पुरुष और सदका देने वाली स्त्रियाँ, रोज़ा रखने वाले पुरुष और रोज़ा रखने वाली स्त्रियाँ, अपने गुप्तांगों की रक्षा करने वाले पुरुष और रक्षा करने वाली स्त्रियाँ तथा अल्लाह को अत्यधिक याद करने वाले पुरुष और याद करने वाली स्त्रियाँ, अल्लाह ने इनके लिए क्षमा तथा महान प्रतिफल तैयार कर रखा है।" [216] [सूरा अल-अहज़ाब : 35]

"ऐ ईमान वालो! तुम्हारे लिए हलाल (वैध) नहीं कि ज़बरदस्ती स्त्रियों के वारिस बन जाओ। और उन्हें इसलिए न रोके रखो कि तुमने उन्हें जो कुछ दिया है, उसमें से कुछ ले लो, सिवाय इसके कि वे खुली बुराई कर बैठें। तथा उनके साथ भली-भाँति जीवन व्यतीत करो। फिर यदि तुम उन्हें नापसंद करो, तो संभव है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत ही भलाई रख दे।" [217] [सूरा अन-निसा : 19]

"ऐ लोगो! अपने उस पालनहार से डरो, जिसने तुम्हें एक जीव (आदम) से पैदा किया तथा उसी से उसके जोड़े (हव्वा) को पैदा किया और उन दोनों से बहुत-से नर-नारी फैला दिए। उस अल्लाह से डरो, जिसके माध्यम से तुम एक-दूसरे से माँगते हो, तथा रिश्ते-नाते को तोड़ने से डरो। निःसंदेह अल्लाह तुम्हारा निरीक्षक है।" [218] [सूरा अल-निसा : 1]

"जो भी अच्छा कार्य करे, नर हो अथवा नारी, जबकि वह ईमान वाला हो, तो हम उसे अच्छा जीवन व्यतीत कराएँगे। और निश्चय हम उन्हें उनका बदला उन उत्तम कार्यों के अनुसार प्रदान करेंगे जो वे किया करते थे।" [219] [सूरा अनल-नह्ल : 97]

"वे तुम्हारे लिए वस्त्र हैं और तो तुम उनके लिए वस्त्र हो।" [220] [सूरा अल-बक्रा : 187]

"तथा उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े पैदा किए, ताकि तुम उनके पास शांति प्राप्त करो। तथा उसने तुम्हारे बीच प्रेम और दया रख दी। निःसंदेह इसमें उन लोगों के लिए बहुत-सी निशानियाँ हैं, जो सोच-विचार करते हैं।" [221] [सूरा अल-रूम : 21]

"(ऐ नबी!) लोग आपसे स्त्रियों के बारे में फ़तवा (शरई हुक्म) पूछते हैं। आप कह दें कि अल्लाह तुम्हें उनके बारे में फ़तवा देता है, तथा किताब की वे आयतें भी जो अनाथ स्त्रियों के बारे में तुम्हें पढ़कर सुनाई जाती हैं, जिन्हें तुम उनके निर्धारित अधिकार नहीं देते और तुम चाहते हो कि उनसे विवाह कर लो, तथा कमज़ोर बच्चों के बारे में भी यही हुक्म है, और यह कि तुम अनाथों के मामले में न्याय पर कायम रहो। तथा तुम जो भी भलाई करते हो, अल्लाह उसे भली-भाँति जानता है। और यदि किसी स्त्री को अपने पति की ओर से ज्यादाती या बेरुखी का डर हो, तो उन दोनों पर कोई दोष नहीं कि आपस में समझौता कर लें और समझौता कर लेना ही बेहतर है। तथा लोभ एवं कंजूसी तो मानव स्वभाव में शामिल है। परंतु यदि तुम एक-दूसरे के साथ उपकार करो और (अल्लाह से) डरते रहो, तो निःसंदेह अल्लाह तुम्हारे कर्मों से सूचित है।" [222] [सूरा अल-निसा : 127,128]

अल्लाह तआला ने पुरुषों को महिलाओं पर खर्च करने और अपने धन को संरक्षित करने का आदेश दिया है, बिना इसके कि परिवार के प्रति महिला का कोई भी वित्तीय दायित्व हो। इस्लाम ने महिला के व्यक्तित्व और पहचान को भी संरक्षित किया, जैसा कि वह अपने पति से जुड़ने के बाद भी अपने (नाम के साथ) अपने परिवार का नाम बाक़ी रख सकती है।

දුස්මාමය පිළිබඳ ජර්ඝන හා පිළිතුරු

📄📄📄📄: <https://www.dhammadownload.com/91/>

📄📄📄📄 📄📄📄📄: <https://www.dhammadownload.com/91/>

📄📄📄📄📄 18📄📄 📄📄📄📄📄 2025 03:12:34 📄📄